भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3868
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

कल्याण कर्नाटक क्षेत्र का विकास

†3868. श्री ई. तुकाराम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित वार्षिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार का संविधान के विशेष उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): जी, श्रीमान। भारत सरकार करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के हस्तांतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता, वित्त आयोग के अनुदानों तथा पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) के माध्यम से कर्नाटक राज्य को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य को केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से के रूप में ₹2,59,421 करोड़ तथा अनुदान सहायता के रूप में ₹1,80,539 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को ₹20,160 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3868, दिनांक 11.08.2026

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर्नाटक सरकार अपनी स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकती है, जिसमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु संसाधनों का उपयोग भी सम्मिलित है।
